

**प्री.बी.एड. प्रवेश नियम**  
**स्कूल शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**  
**रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006**

// अधिसूचना //

क्रमांक 5-5-20/2006 – राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार-इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 होगा। यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।
2. परिभाषाएँ इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेरित न हो –
  - (क) **"राज्य शासन"** से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन।
  - (ख) **"श्रेणी"** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
  - (ग) **"संवर्ग"** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक।
  - (घ) **"प्री बी.एड. परीक्षा"** से तात्पर्य है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा।
  - (ङ) **"संचालक"** से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।
  - (च) **"अनुदान प्राप्त महाविद्यालय"** से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।
  - <sup>1</sup>(छ) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं. 18-44/20/2007 दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>(ज) "ऑनलाइन आंबटन" से अभिप्रेत है कि प्री.बी.एड. प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो बी.एड.पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आबंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.बी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

### 3. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

- <sup>2</sup>(क) **प्री बी.एड. परीक्षा** – सामान्यतया बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से ही दिया जायेगा।
- (ख) मूल निवासी – राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
- (ग) न्यूनतम आयु—किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री.बी.एड. परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो।

### 4. प्री.बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

<sup>3</sup>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों में छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर

- 
1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
  2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
  3. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 9 अगस्त 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड.परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा। परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**5. बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण –** बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी-वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

**स्पष्टीकरण –** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<sup>1</sup>(ग) “उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों” एवं “गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों” में लागू नहीं होंगे।”

## 6. प्री. बी.एड. परीक्षा –

- (क) प्रतिवर्ष बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. बी.एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री.बी.एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- (ग) प्री. बी.एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा –
1. सामान्य मानसिक योग्यता – 30 प्रतिशत।
  2. सामान्य ज्ञान – 20 प्रतिशत।
  3. सामान्य अभिरुचि – 30 प्रतिशत।
  4. सामान्य हिन्दी – 10 प्रतिशत।
  5. सामान्य अंग्रेजी – 10 प्रतिशत।
- (घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- (च) प्री. बी.एड. परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

**7. प्रावीण्य सूची –** प्री. बी.एड. परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर भी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में उपर रखा जाएगा।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

## <sup>1</sup> 8. ऑनलाइन आबंटन—

- (क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।
- (ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण—पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/— रु. (अक्षरी— तीन सौ पचास रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।
- (ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
- (ङ) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।
- (च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- (छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आबंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।
- (ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

**9. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश —** आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20—एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रति स्थापित।

10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश—किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा –

- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ङ) सभी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

12. प्रवेश का निरस्तीकरण – यदि यह पाया जात है कि अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

13. महाविद्यालय की फीस – सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा।

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचना के लिए प्रदेश के कम कम से दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे।

परंतु यह भी कि महाविद्यालयों को प्री.बी.एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री.बी.एड. एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होंगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके।

परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

14. **नियमों की व्याख्या** – प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ. आलोक शुक्ला)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

## // आवश्यक सूचना //

1. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3-4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इस विवरणिका के साथ दिया गया है इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लें।
2. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दिया गया है।
3. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क 350/- चालान के माध्यम से ही लिया जायेगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है।
4. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर MKCL के साइट में जाने का लिंक का उपयोग कर MKCL के वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक /प्री.बी.एड. रोल नम्बर Submit कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करने होंगे या MKCL के वेबसाइट [oasis.mkcl.org/cgbed2014](http://oasis.mkcl.org/cgbed2014) में अपना विकल्प फार्म/प्री. बी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देगा। परिषद् द्वारा प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को आबंटन पत्र नहीं दिये जायेंगे। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटें रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नहीं किये जायेंगे।
6. महाविद्यालय में प्रवेश के समय उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त में स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा। गलत भ्रामक जानकारी देकर प्रवेश लेने पर प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की है। महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में एस.सी.ई.आर.टी. की शेष जवाबदारी भी होगी।
7. 30 सितम्बर 2014 के पश्चात् सत्र 2014-15 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।
8. राज्य के शासकीय/अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में सीटों का आरक्षण छ.ग. शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। प्रवेश के समय छ.ग. शासन द्वारा लागू आरक्षण नियमों/निर्देशों के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
9. समय-समय पर संशोधित नियम एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में देखे जा सकते हैं।
10. निजी व शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।
11. राज्य के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में छ.ग. के SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को सीटों में आरक्षण छ.ग. के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक F9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार दिया जायेगा।
12. ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने पर किसी अभ्यर्थी द्वारा सीट आबंटन हेतु दावा भी हो सकता है।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

**बी.एड. संचालित संस्थाओं में स्वीकृत सीटों का विवरण**

क्र.	जिला	संस्था का नाम एवं पता	महा-विद्यालय का प्रकार	महा - विद्यालय का कोड	सीटों का प्रकार	योग 100%
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	शास. शिक्षा महा. रायपुर	शासकीय	119101	छ.ग.के निवासी	93
					अखिल भारतीय	—
2	रायपुर	पं.हरिशंकर शुक्ल महाविद्यालय, कचना रोड रायपुर	निजी	119317	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
3	रायपुर	सेंट विन्सेंट पैलौटी कॉलेज कापा, रायपुर	अल्प संख्यक (निजी)	119401	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
4	रायपुर	प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर	निजी	119310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
5	रायपुर	दुर्गा महाविद्यालय के.के.रोड मौदहापारा रायपुर	निजी	119316	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
6	रायपुर	विकास शिक्षा महाविद्यालय देवपुरी रायपुर	निजी	119319	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
7	रायपुर	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नयापारा राजिम जिला - रायपुर	निजी	119314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
8	रायपुर	दिशा कालेज आफ आई.टी. कोटा, रायपुर	निजी	119306	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
9	रायपुर	इंस्टीट्यूट आफ टीचर्स एज्युकेशन पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर	विश्व विद्यालय स्व-वित्तपोसी	119313	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
10	रायपुर	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद जिला-रायपुर	निजी	119303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
11	रायपुर	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, कोटा, रायपुर	निजी	119302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
12	रायपुर	कालिंदी महाविद्यालय एम.एम. आई. हास्पिटल के पीछे लालपुर, रायपुर	निजी	119320	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
13	रायपुर	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कालोनी, रायपुर	निजी	119325	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
14	रायपुर	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलभाठा अभनपुर	निजी	119323	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

15	रायपुर	नेताजी सुभाष कॉलेज बेलभाठा अभनपुर	निजी	<b>119324</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
16	रायपुर	गुरुकुल इंस्टीट्यूट केशोडार रोड, गरियाबंद	निजी	<b>119322</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
17	रायपुर	मेट्स विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय, गुल्लु आरंग, रायपुर	निजी विश्वविद्यालय	<b>119321</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
18	रायपुर	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन 58 –59 सुन्दरनगर , रायपुर	निजी	<b>119315</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
19	रायपुर	विप्र कला वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा महा.वि.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पीछे डुमरतालाब रायपुर	निजी	<b>119326</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
20	रायपुर	महात्मा गांधी कालेज गुरुद्वारा के पीछे स्टेशन रोड	निजी	<b>119327</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
21	रायगढ़	एरिसेन्ट कालेज पटेलपाली , एन.एच 16 सारंगढ़ रोड़ रायगढ़	निजी	<b>122301</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
22	दुर्ग	कल्याण महा. सेक्टर-7 भिलाईनगर जिला – दुर्ग	अनुदान प्राप्त (निजी)	<b>114201</b>	छ.ग.के निवासी	300
					अखिल भारतीय	—
23	दुर्ग	सेंट थामस महाविद्यालय रूआबांधा, भिलाई	अल्प संख्यक (निजी)	<b>114402</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
24	दुर्ग	भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली, सेक्टर, भिलाई-दुर्ग	निजी	<b>114303</b>	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
25	दुर्ग	जी.एस. आर्य कन्या महा. आर्य नगर, दुर्ग	निजी कन्या	<b>114323</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
26	दुर्ग	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय सेक्टर-6, भिलाईनगर	निजी	<b>114301</b>	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
27	दुर्ग	मनसा कॉलेज, इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोहका रोड, कुरुद, भिलाई	निजी	<b>114310</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
28	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, दुर्ग	निजी	<b>114325</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
29	दुर्ग	छत्तीसगढ़ कल्याण समिति अहिरी, दुर्ग	निजी	<b>114304</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
30	दुर्ग	भिलाई नायर समाजम कॉलेज सेक्टर-8, भिलाई नगर, जिला – दुर्ग	निजी	<b>114321</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
31	दुर्ग	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई	निजी	<b>114306</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

32	दुर्ग	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको, भिलाई	निजी	114302	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
33	दुर्ग	रुंगटा कॉलेज आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी ,जी.ई.रोड गंजपारा दुर्ग	निजी	114324	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
34	दुर्ग	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेक्टर-6 भिलाईनगर	अल्प संख्यक (निजी)	114401	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
35	दुर्ग	अपोलो कॉलेज अपोजिट वेटनरी कॉलेज, अंजोरा, जिला-दुर्ग	निजी	114308	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
36	दुर्ग	उदय महाविद्यालय ए.सी.सी. बोगदा पुल के पास, नंदनी रोड जामुल, भिलाई-दुर्ग	निजी	114307	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
37	दुर्ग	एम.जे. कॉलेज कोहका जुनवानी रोड, भिलाई	निजी	114326	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
38	दुर्ग	बी.आई.आई.टी. महाविद्यालय, पदनाभपुर, पुलगांव बायपास रोड, दुर्ग	निजी	114322	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
39	दुर्ग	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला, वाणिज्य एवं शिक्षा महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली भिलाई	निजी	114314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
40	दुर्ग	सेठ शगुनचंद सुराना कॉलेज महावीर कॉलोनी दुर्ग	निजी	114319	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
41	दुर्ग	जगतगुरु शंकराचार्य कॉलेज भिलाई दुर्ग	निजी	114327	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
42	दुर्ग	कांतीदर्शन महाविद्यालय कांतिदर्शन परिसर कोसानगर दुर्ग	निजी	114320	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
43	दुर्ग	भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई	निजी	114328	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
44	दुर्ग	जी.डी.रुंगटा कॉलेज कोहका-कुरुद रोड, भिलाई-दुर्ग	निजी	114311	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
45	दुर्ग	अग्रसेन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ग्राम-धनोरा, दुर्ग	निजी	114316	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
46	दुर्ग	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय रुआबांधा भिलाई-दुर्ग	निजी	114318	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
47	दुर्ग	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, गौरव पथ, उतई रोड दुर्ग	निजी	114317	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
48	दुर्ग	भिलाई कालेज ऑफ आई.टी. जामुल ,भिलाई वार्ड 4 चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा रोड भिलाई	निजी	114312	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

49	दुर्ग	खालसा कॉलेज मालवीय नगर चौक, दुर्ग	निजी	114315	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
50	कोरबा	अग्रसेन महाविद्यालय, कोरबा	निजी	116301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
51	कोरबा	कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा	निजी	116303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
52	जगदलपुर	क्राइस्ट कॉलेज गीदम रोड, जगदलपुर	अल्प संख्यक (निजी)	110401	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
53	जगदलपुर	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय कंगोली जगदलपुर	निजी	110301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
54	जगदलपुर	सूर्या महाविद्यालय जगदलपुर	निजी	110302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
55	बिलासपुर	शास. शिक्षा.महा. बिलासपुर	शासकीय	111101	छ.ग.के निवासी	95
					अखिल भारतीय	—
56	बिलासपुर	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	निजी	111303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
57	बिलासपुर	मौलाना आजाद, शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	निजी	111304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
58	बिलासपुर	डॉ. सी.व्ही. रमन शिक्षा विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर	निजी विश्वविद्यालय	111302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
59	बिलासपुर	सी.एम.डी.कॉलेज, लिंकरोड, बिलासपुर	निजी	111305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
60	बिलासपुर	शिक्षा महाविद्यालय मेडुका, ग्राम-मेडुका, पोस्ट-दर्री, वाया पेण्ड्रा रोड, बिलासपुर	निजी	111306	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
61	बिलासपुर	श्री सिद्ध पीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय नेहरू नगर, बिलासपुर	निजी	111307	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
62	बिलासपुर	शुभम शिक्षण महाविद्यालय बिलासपुर	निजी	111308	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
63	बिलासपुर	डी.एल.एस.कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर	निजी	111309	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
64	बिलासपुर	जे.ई.एस कालेज ग्राम फरहदा ,गतौरा रेल्वे स्टेशन के पास ,बिलासपुर	निजी	111310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
65	बिलासपुर	आयुष कालेज ऑफ एजुकेशन मरवाही,लोहारी पोष्ट-मरवाही जिला बिलासपुर	निजी	111311	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

66	बिलासपुर	जी.टी.बी.कालेज ऑफ एज्युकेशन फरहदा ,गतौरा रेल्वे स्टेशन के पास ,बिलासपुर	निजी	111312	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
67	सरगुजा	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, नमनाकला, अम्बिकापुर	निजी	121303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
68	सरगुजा	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर अंबिकापुर	निजी	121304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
69	सरगुजा	सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, अम्बिकापुर	अल्प संख्यक (निजी)	121301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
70	कोरिया	डॉ.आर.एन.एस.शिक्षा महाविद्यालय मोहरपारा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया	निजी	117302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
71	जांजगीर	हरिशंकर कॉलेज आफ एज्युकेशन, जांजगीर	निजी	115303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
72	जांजगीर	राहौद एज्युकेशन सोसायटी व्याहा- खरौद, ग्रा.+पो. राहौद	निजी	115304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
73	जांजगीर	कोणार्क कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, खोकसा पिथमपुर चौक, जांजगीर	निजी	115305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
74	जांजगीर	ज्ञानदीप शिक्षा महाविद्यालय जांजगीर	निजी	115307	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
75	जांजगीर	ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय जांजगीर	निजी	115308	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
76	जांजगीर	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बाराद्वार जांजगीर-चांपा	निजी	115301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
77	जांजगीर	उत्कर्ष कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सरखो रोड, जांजगीर चांपा	निजी	115302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
78	जांजगीर	केसरी शिक्षण समिति खोखरा ,जांजगीर चांपा	निजी	115310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
79	जांजगीर	ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था खोखरा ,जांजगीर चांपा	निजी	115311	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
80	जांजगीर	श्याम शिक्षा महाविद्यालय ,रिशमतिर्थ ,सक्ती तह.सक्ती ,जिला जांजगीर चांपा	निजी	115312	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
81	जांजगीर	श्री महंतलालदास शिक्षा महाविद्यालय शिवरीनारायण जांजगीर चांपा	निजी	115309	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

82	राजनांदगांव	श्रीराम कॉलेज आफ एज्यूकेशन, श्री राम परिसर, ठाकुर टोला, राजनांदगांव	निजी	120301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
83	राजनांदगांव	कान्फ्लूयेंस कॉलेज आफ हायर एज्यूकेशन, राजनांदगांव	निजी	120302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
84	राजनांदगांव	रॉयल कॉलेज लालबाग, राजनांदगांव	निजी	120303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
85	राजनांदगांव	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा चौक जी.ई.रोड राजनांदगांव	निजी	120304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
86	महासमुंद	प्रतीभा कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन ,बालसी ,सराईपाली जिला महासमुंद	निजी	118303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
87	दंतेवाड़ा	विश्वभारती इंस्टीट्यूट कोंटा दंतेवाड़ा	निजी	112301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
88	रायपुर	कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट देवरी,भाटापारा रायपुर	निजी	119328	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
89	दुर्ग	संदीपनी एकेडमिक अछोटी मुरमुंदा तह.घमधा दुर्ग	निजी	114329	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
90	दुर्ग	शैलदेवी महाविद्यालय ग्राम अण्डा जिला दुर्ग	निजी	114330	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
91	दुर्ग	डी.ए.व्ही.माडल कालेज धमधा रोड ,जिला दुर्ग	निजी	114331	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
92	बिलासपुर	पं. मदनमोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय लावर,पो.आ.कोनी मस्तुरी रोड,लावर मोड़ बिलासपुर	निजी	111314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
93	दुर्ग	भिलाई स्कूल ऑफ एज्यूकेशन एवं रिसर्च प्लाट न. 1268, चन्द्रखुरी, दुर्ग	निजी	114332	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
94	दुर्ग	रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी दुर्ग	निजी	114333	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
95	बिलासपुर	एस.एस.कालेज ऑफ एज्यूकेशन सारबहरा, पेन्द्रारोड़ बिलासपुर (छ.ग.)	निजी	111313	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
96	बिलासपुर	संत गुरुघासी दास शिक्षा ऑफ एज्यूकेशन, पचपेड़ी, व्हाया मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	निजी	111301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
97	रायगढ़	जानकी कालेज ऑफ एज्यूकेशन धनुहारडेरा, रायगढ़	निजी	122302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
98	राजनांदगांव	सोमनी महाविद्यालय, सोमनी जिला-राजनांदगांव	निजी	120305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

99	रायपुर	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नया रायपुर मुक्तागंन के पास चंपारन रोड़ नया रायपुर	निजी	<b>119329</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
100	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पावरग्रीड कार्पोरेशन के पास, हॉलीडे रिशोर्ट के पीछे, कुम्हारी, धमधा, दुर्ग	निजी	<b>114334</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
101	जांजगीर चांपा	संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय बुन्देला रोड़, पानी टैंक के पास, राहौद	निजी	<b>115313</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
102	सरगुजा	पावती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड मनेजमेन्ट कालेज मदनपुर मनेन्द्रगढ़, रोड़ पोस्ट-सिलकली, जिला सूरजपुर, अंबिकापुर	निजी	<b>121305</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
103	जांजगीर	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, हरदीबाजार रोड़, बलौदा जिला-जांजगीर चांपा	निजी	<b>115306</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
104	बेमेतरा	समाधान कालेज, समृद्धि विहार एलोन्स पब्लिक स्कूल के पास बेरला रोड़, बेमेतरा	निजी	<b>114335</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
105	जांजगीर चांपा	श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय पिथमपुर चौक, खोखसा जांजगीर चांपा	निजी	<b>115314</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
106	कोरबा	हसदेव एज्युकेशन कालेज आमापाली, तिलकेजा कोरबा	निजी	<b>116304</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
107	दुर्ग	बी.एम. कालेज, शासकीय आईटी. आई के सामने बालोदरोड़, कोलिहापुरी दुर्ग	निजी	<b>114336</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
108	रायपुर	के.डी. रूगंटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, रूगंटा एज्युकेशन केम्पस, वीर सावरकर नगर, नंदनवन के पास रायपुर	निजी	<b>114337</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
109	रायपुर	दिशा कालेज ऑफ मनेजमेन्ट एण्ड स्टडीज सत्यविहार विधानसभा चन्द्रखुरी मार्ग, रायपुर व्याहा-पचेड़ा, मंदिर हसौद	निजी	<b>119331</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
110	रायपुर	दिशा कालेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, बिल्डींग-2 दिशा पार्क, रामनगर, कोटा रोड़ रायपुर	निजी	<b>119330</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
111	रायपुर	सेन्ट्रल कालेज ऑफ एज्युकेशन CCE, NH-6 राजू ढाबा के पास मन्दिर हसौद, रायपुर	निजी	<b>119332</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
112	रायपुर	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एज्युकेशनस, नरदहा, पचेड़ा रोड़, एन.एच. गोयल स्कूल के पास नरदहा रायपुर	निजी	<b>119333</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
113	रायपुर	सी.आई.टी.बी. एड कालेज, NH-43, भेलवाडीह, नया रायपुर	निजी	<b>119334</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

114	जंजगीर चांपा	माँ एज्यूकेशन कालेज, पोस्ट-पामगाढ़ जिला-जांजगीर चांपा	निजी	<b>115315</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
115	गरियाबंद	विरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय मेनरोड, जामगांव जिला-गरियाबंद	निजी	<b>119335</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
116	रायपुर	श्रीराम कालेज सारागांव, खरोरा रोड, रायपुर	निजी	<b>119336</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
117	महासमुंद	जयहिन्द कालेज, वार्ड नं. 20, मलेश्वर रोड, गैस गोदाम के पास, महासमुंद	निजी	<b>118304</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
118	रायपुर	शम्भवी स्कूल ऑफ एज्यूकेशन, घुसेरा अभनपुर जिला - रायपुर	निजी	<b>119337</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
119	दुर्ग	देव संस्कृति कालेज ऑफ एज्यूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम-खपरी, पोस्ट-जेवरा जिला-दुर्ग	निजी	<b>114309</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
120	दुर्ग	प्रिज्म स्कूल ऑफ एज्यूकेशन उतई, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.)	निजी	<b>114338</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
121	रायपुर	कृति इस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्यूकेशन, नरदहा रायपुर	निजी	<b>119338</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
122	रायपुर	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एज्यूकेशन, ग्राम-धनेली, माना रोड रायपुर	निजी	<b>119339</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
123	रायपुर	कोलम्बिया कालेज, विधानसभा के पास, माढ़र रोड, मुरकोनी टेकरी रायपुर	निजी	<b>119340</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
124	रायपुर	RITEE कालेज ऑफ एज्यूकेशन, कांगेरवली केम्पस, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय के पास, रायपुर	निजी	<b>119341</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
125	कोरिया	मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय, श्री सरवेश्वरी नगर, बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया	निजी	<b>117301</b>	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
126	महासमुंद	श्याम बालाजी कालेज, अयोध्यानगर, महासमुंद 493445	निजी	.....	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

## नोट :-

1. उपरोक्त सूची में एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता सम्बन्धी लिए जाने वाले निर्णयों के तहत कुछ महाविद्यालयों के नाम हटाये जा सकते हैं तथा नये महाविद्यालयों के नाम जोड़े जा सकते हैं। अर्थात् महाविद्यालयों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. राज्य के शासकीय व निजी शिक्षा महाविद्यालय में संचालित बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। शुल्क की जानकारी हेतु उक्त आदेश को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में देख सकते हैं।
3. उपरोक्त सूची में टंकन त्रुटि हो सकती है, सही जानकारी SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में देख सकते हैं।

(अनिल राय)  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग. रायपुर

# प्री.बी.एड. 2014 के लिए पाठ्यक्रम

## भाग – 1 सामान्य मानसिक योग्यता

30 अंक

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं :-

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं – विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि-आदि।

## भाग – 2 सामान्य चेतना

20 अंक

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे-

1. भारतीय इतिहास : भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्य सभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता।
6. खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीतियों, शिक्षा-नीति, समीक्षा, औपचारिकतर शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा लोकव्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

### भाग-3

#### शैक्षणिक अभिरूचि

30 अंक

शैक्षणिक अभिरूचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं :- बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि। इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

### भाग-4

#### सामान्य हिन्दी

##### अ. व्याकरण

10 अंक

- मानक भाषा : स्वरूप और लक्षण,
- संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
- समास-रचना एवं प्रकार,
- संधि नियम एवं प्रकार,
- अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार, एवं प्रयोग
- विनम्रता सूचक, विधि निषेध,
- काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध
- कारक-कार्य संबंध, अनुक्रम,
- व्याकरणिक अशुद्धियां

##### ब. शब्द बोध

- शब्द-रचना उपसर्ग प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव
- शब्द-प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
- शब्दार्थ-पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
- अशुद्धि संशोधन,-उच्चारणगत, शब्द व शब्दार्थगत
- हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द पारिभाषिक शब्द निर्माण के आधार
- पारिभाषिक शब्द-प्रशासनिक, मानविकीय, वाणिज्यिक

**PART –V**  
**Communication Ability in General English**

**10 Marks**

**UNIT –I: GRAMMAR –**

1. SENTENCE
  - 1.1 Simple, Complex and Compound sentences.
  - 1.2 Subordinate and co-ordinate clauses.
  - 1.3 Transformation of sentences.
- 2 TENSE
  - 2.1 Simple, present, progressive and present perfect
  - 2.2 Simple past, progressive and past perfect.
  - 2.3 Indication of futurity
- 3 VOICE
- 4 Narration
- 5 Modals (will, would, shall, should, ought to, must, have to, can-could, may-might and need)
- 6 Verb structures (Infinitive and gerundials)
- 7 Questions Tag
- 8 Preposition
- 9 Nouns – counts and non-counts nouns

**UNIT – II: VOCABULARY**

1. Prefixes and Suffixes
2. One word substitution
3. Synonyms and Antonyms
4. Spellings
5. Derivations

(अनिल राय)  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग. रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन

## स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31.01.08

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 6 -2/08/20 राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में डाइट/बी.टी.आई. /महाविद्यालयों/संस्थाओं में द्विवर्षीय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :** (1) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 होगा। (2) यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। (3) यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।
2. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो—
  - (क) “राज्य शासन” से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,
  - (ख) “श्रेणी” से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
  - (ग) “संवर्ग” से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक,
  - (घ) “प्री डी. एड. परीक्षा” से तात्पर्य है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,
  - (ङ) “संचालक” से तात्पर्य है, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
  - (च) “अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय” से तात्पर्य है, ऐसी संस्था/महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और “गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय” का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,
  - (छ) “गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय” से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित

हो।

(ज) "डाइट"से तात्पर्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं "बी.टी.आई." से तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।

<sup>1</sup>(झ) "ऑनलाइन आंबटन" से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी.एड.पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आंबटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आंबटन किया जाता है।

### 3. डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

<sup>2</sup>(क) प्री डी. एड. परीक्षा:—सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डी. एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए आनलाइन आंबटन के माध्यम से दिया जायेगा।

(ख) मूल निवासी –राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/ महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) आयु सीमा – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डी.एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर)

---

1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन

विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

4. **प्री डी. एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं** – डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12 वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो + 2 परीक्षा में बैठे हैं प्री डी.एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा। परन्तु उन्हें <sup>1</sup>आनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय + 2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. **डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** – डी. एड. पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

<sup>2</sup>(क) **वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी** वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची I के अनुसार होगा। इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी.एड. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना होगा। आबंटन सूची जिलेवार जारी होगी। यदि किसी डाइट /बी.टी.आई.में आबंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी। नये जिले जिसमें डाइट/ बी.टी.आई.उपलब्ध नहीं है के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट /बी.टी.आई के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

- 
1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
  2. नियम 5 (क) के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी

निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।
- (ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई. में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होगा। शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे। किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (ध) उपरोक्त आरक्षण नियम "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं/ महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों" में लागू नहीं होंगे।

6. प्री डी. एड. परीक्षा –

- (क) प्रतिवर्ष डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- (ग) प्री. डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—
1. सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रतिशत ।
  2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत ।
  3. शिक्षण अभिरुचि 30 प्रतिशत ।
  4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत ।
  5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत ।

(घ) केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. डी. एड. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

7. **प्रावीण्य सूची**—प्री. डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

#### <sup>1</sup>8. ऑनलाइन आबंटन—

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण — पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी—तीन सौ रूपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री. डी. एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

---

1. नियम 8 के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा

जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

- (छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आबंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।
- (ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

**9. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –**

आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

**10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश–**

किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा–

- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ड.) सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

### 11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश—

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू होंगे।

### 12. प्रवेश का निरस्तीकरण—

यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/ महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

### 13. संस्था/महाविद्यालय की फीस—

सभी संस्थाओं/महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रदेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे। परंतु यह भी कि संस्थाओं/महाविद्यालयों को प्री. डी. एड. परीक्षा का प्रास्पेक्टस छापने के पूर्व अपनी फीस प्री. डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्टस में छापी जा सके। परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

#### 14. नियमों की व्याख्या—

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(नंदकुमार)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

अनुसूची-I

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट/बी.टी.आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई.बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

सचिव,  
छ.ग.शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

## // आवश्यक सूचना //

1. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3-4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इस विवरणिका के साथ दिया गया है इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लें।
2. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दी गई है।
3. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क 300/- चालान के माध्यम से ही लिया जायेगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है।
4. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर MKCL के साइट में जाने का लिंक का उपयोग कर MKCL के वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक /प्री.डी.एड. रोल नम्बर Submit कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करने होंगे या MKCL के वेबसाइट [oasis.mkcl.org/cgded2014](http://oasis.mkcl.org/cgded2014) में अपना विकल्प फार्म/प्री. डी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देगा। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटे रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नहीं किये जायेगे।
6. महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश के समय उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
7. 30 सितम्बर 2014 के पश्चात् सत्र 2014-15 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।
7. समय-समय पर संशोधित नियम scert के वेबसाइट पर <http://scert.cg.gov.in> में देखे जा सकते हैं।
8. निजी एवं शासकीय संस्थाओं/महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी scert के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।

(अनिल राय)  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़

**डी.एड. संचालित संस्थाओं में स्वीकृत सीटों का विवरण**

क्र.	जिला	संस्था का नाम एवं पता	महा— विद्यालय का प्रकार	सीटों की संख्या	सीटों का प्रकार	महा – विद्यालय का कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	शासकीय	100 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	223101
2	रायपुर	जी.एच. रायसोनी नेशनल कालेज मोवा, रायपुर	निजी	80 20	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	223302 (हिन्दी माध्यम के लिए कोड) 223303 (अंग्रेजी माध्यम के लिए कोड)
3	रायपुर	प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	223301
4	रायपुर	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेज, गरियाबंद, रायपुर	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	223304
5	रायपुर	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, धनेली, रायपुर	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	223305
6	दुर्ग	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा	शासकीय	100 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	214101
7	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, दुर्ग	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	214301
8	दुर्ग	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	निजी कन्या	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	214303
9	दुर्ग	जी.डी.रुंगटा शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय भिलाई दुर्ग	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	214304
10	बिलासपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	शासकीय	100 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	211101
11	बिलासपुर	बी.टी.आई., बिलासपुर	शासकीय	50 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	211102
12	बिलासपुर	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	211301
13	बिलासपुर	कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मेडुका रोड, दर्री, पेण्ड्रारोड, बिलासपुर	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	211302
14	बस्तर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बस्तर	शासकीय	100 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	210101
15	बस्तर	काइस्ट कॉलेज, जगदलपुर	अल्प संख्यक (निजी)	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	210301 (हिन्दी माध्यम के लिए कोड) 210302 (अंग्रेजी माध्यम के लिए कोड)
16	दंतेवाड़ा	विश्वभारती इंस्टीट्यूट कोन्टा, दंतेवाड़ा	निजी	40 10	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	212301
17	राजनांदगांव	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	शासकीय	100 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	224101
18	राजनांदगांव	बी.टी.आई. डोगरगांव	शासकीय	100 —	छ.ग.के निवासी अखिल भारतीय	224102

19	रायगढ़	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, धर्मजयगढ़	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	222101
				—	अखिल भारतीय	
20	जशपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जशपुर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	216101
				—	अखिल भारतीय	
21	जशपुर	होली क्रॉस बी.टी.आई, पत्थलगांव (अनुदान प्राप्त)	अनुदान प्राप्त (निजी) अल्पसंख्यक	70	छ.ग.के निवासी	216201
				—	अखिल भारतीय	
22	धमतरी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी, (धमतरी)	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	213101
				—	अखिल भारतीय	
23	महासमुंद	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, महासमुंद	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	221101
				—	अखिल भारतीय	
24	कांकेर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांकेर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	217101
				—	अखिल भारतीय	
25	अम्बिकापुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	225101
				—	अखिल भारतीय	
26	जांजगीर—चांपा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जांजगीर — चांपा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	215101
				—	अखिल भारतीय	
27	जांजगीर—चांपा	राहौद एज्यूकेशन सोसायटी राहौद, पामगढ़, जिला—जांजगीर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	215301
				10	अखिल भारतीय	
28	कोरबा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	219101
				—	अखिल भारतीय	
29	कोरिया	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरिया	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	220101
				—	अखिल भारतीय	
30	कबीरधाम	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कबीरधाम	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	218101
				—	अखिल भारतीय	
31	दंतेवाड़ा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दंतेवाड़ा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	212101
				—	अखिल भारतीय	
32	दुर्ग	भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली भिलाई	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214302
				10	अखिल भारतीय	
33	जांजगीर चांपा	पं. हरिशंकर कालेज ऑफ एज्यूकेशन नैला रोड, सरखो, जिला—जांजगीर चांपा	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223306
				10	अखिल भारतीय	
34	दुर्ग	कांती दर्शन महाविद्यालय, कांतीदर्शन परिसर, कोसानगर, भिलाई	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214306
				10	अखिल भारतीय	
35	दुर्ग	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आर्ट एवं कामर्स महाविद्यालय, रेल्वे क्रॉसिंग के पास, धनोरा रोड, रिसाली भिलाई	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214305
				10	अखिल भारतीय	
36	रायपुर	ग्लोबल एज्यूकेशन इस्टीट्यूट, धनेली रायपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223307
				10	अखिल भारतीय	
37	रायपुर	श्री रावतपुरा सरकार इस्टीट्यूट, नया रायपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223308
				10	अखिल भारतीय	

**नोट:—**

1. उपरोक्त सूची में NCTE द्वारा मान्यता संबंधी लिये जाने वाले निर्णयों के तहत कुछ संस्थानों के नाम जोड़े जा सकते हैं अर्थात् संस्थानों की संख्या घट बढ़ सकती है।
2. उपरोक्त सूची में टंकन त्रुटि हो सकती है, सही जानकारी SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में देख सकते हैं।

( अनिल राय )  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग. रायपुर

**डी.एड. 2014 के लिए पाठ्यक्रम**  
**सभी प्रश्न हायर सेकेन्डरी परीक्षा स्तर के पूछे जायेंगे**  
**भाग – 1**  
**सामान्य मानसिक योग्यता**

**30 अंक**

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं:—

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं – विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेपी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि—आदि।

**भाग – 2**  
**सामान्य चेतना**

**20 अंक**

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।

2. भारतीय इतिहास : भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा राज्य सभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना जीवन की गुणवत्ता।
6. खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीतियाँ शिक्षा—नीति, समीक्षा, औपचारिकतर शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

**भाग—3**

शैक्षणिक अभिरूचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं :- बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि। इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

**भाग-4**

**सामान्य हिन्दी**

**अप. व्याकरण**

**10 अंक**

- मानक भाषा : स्वरूप और लक्षण,
- संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
- समास-रचना एवं प्रकार,
- संधि नियम एवं प्रकार,
- अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार, एवं प्रयोग
- विनम्रता सूचक, विधि निषेध,
- काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध
- कारक-कार्य संबंध, अनुक्रम,
- व्याकरणिक अशुद्धियां

**क. शब्द बोध**

- शब्द-रचना उपसर्ग प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव
- शब्द-प्रकार तत्सम्, तद्भव, देशज विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
- शब्दार्थ-पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
- अशुद्धि संशोधन,-उच्चारणगत, शब्द व शब्दार्थगत

PART –V  
**Communication Ability in General English**

10 Marks

**UNIT – I: GRAMMAR – (6)**

- 1) Part of Speech:
  - a) Count Non-Count Nouns
  - b) Pronouns - Relative Possessive
  - c) Adjective (Attributive use)
  - d) As+Adj+As
  - e) Adverbs (End Position)
  - f) Preposition (in, on, at) for Time and Place
- 2) Simple Sentences:
  - a) Imperative Sentences
  - b) Simple Sentences
  - c) Infinitive
  - d) Present Participle, Past Participle
  - e) Gerund
- 3) Change of combining Sentences with and but
- 4) Determiners - Some, any, little, a little, few, a few
- 5) Tense - Present progressive  
Present Simple  
Past Simple

Use of for future Time

- 6) If Clause (First Condition)  
If you work hard, you will pass.
- 7) Question Framing -  
Wh-Question, Yes/No Type Question
- 8) Articles - A, An, The
- 9) Modals:  
Can (Showing Capability)  
May (Seeking Permission)  
Should (Giving Advice)  
Would (Showing Possibility)
- 10) Change of Voice -  
(Simple present and past tense with Agent)
- 11) Narration  
Simple Sentence (present past and future tense)

**UNIT – II: VOCABULARY (4)**

1. One word substitution
2. Spellings
3. Opposite words (Prefixes-un,dis-,in-)
4. Suffixes

(अनिल राय)  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग. रायपुर

## बी.एड./ डी.एड. आन लाइन आबंटन 2014 हेतु दिशा-निर्देश

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त शासकीय (शिक्षा महाविद्यालयों) अनुदान प्राप्त शिक्षा अशासकीय महाविद्यालयों/गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2014-15 तथा डाइट/ बी.टी.आई/अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम 2014-15 में प्रवेश क्रमशः प्री. बी.एड. 2014 व प्री.डी.एड. 2014 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है। ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी इस विवरणिका के साथ दिया जा रहा है। प्री. डी.एड./प्री.बी.एड. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् छ.ग. राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक अखबारों में केवल आबंटन प्रक्रिया का कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेगे। आबंटन कार्यक्रम की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी उपलब्ध होंगे।

**आबंटन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है –**

**1. बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-**

**(a) बी.एड. पाठ्यक्रम –** बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्री वर्षीय स्नातक/स्नाकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दिया जायेगा।

**(b) डी.एड. पाठ्यक्रम –** डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर से (हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।

**2. विकल्प फार्म भरने के आवश्यक दस्तावेज –**

**(A) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु :-** बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के तथा अपनी सुविधा के अनुसार MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे –

- I. 350/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक **32402468895** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी

प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।

- II. प्री. बी.एड. परीक्षा 2014 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों का अंकसूची और यदि स्नाकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नाकोत्तर के दोनो वर्षों का अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए ही आबंटन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
- VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र। (प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा फार्म में दिये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)
- VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- IX. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

**(B) डी.एड. पाठ्यक्रम** — डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।

- I. 300/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक **32402461389** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ संलग्न है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।
- II. प्री. डी.एड. परीक्षा 2014 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- X. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र। (प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा फार्म में दिये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)

VII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।

VIII. अभ्यर्थियों का मनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

**3. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने का स्थान :-** बी.एड. के लिए प्री.बी.एड.परीक्षा 2014 में तथा डी.एड. के लिए प्री.डी.एड. परीक्षा 2014 में बैठे ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006 तथा डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के अनुसार अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड./डी.एड. (जो लागू हो) पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, MKCL के निम्नलिखित केन्द्रों में ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प फार्म भर सकते हैं।

क्र.	विकल्प फार्म भरने हेतु MKCL केन्द्र के नाम व पता	जिला	शहर	दूरभाष नंबर
1.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर	सरगुजा (अम्बिकापुर)	अम्बिकापुर	07774-230799
2.	ग्लोबल मल्टीमीडिया हनुमान मंदिर के पास डी.सी. रोड	सरगुजा (अम्बिकापुर)	अम्बिकापुर	78692-93997 97536-45205
3.	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी. मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा	बिलासपुर	बिलासपुर	88238-10489
4.	जी.टी.बी. एकेडमी, हनुमान मंदिर के पास नेहरू नगर बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-271311 93000-21347
5.	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी.विप्र कॉलेज के पास हाईकोर्ट रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-407578
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा	बिलासपुर	बिलासपुर पेण्ड्रा	07751-224718
7.	डी.टेक कम्प्यूटरर्स, बी.एस.एन.एल ऑफिस के सामने राजकिशोरानगर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-427708 92298-28788
8.	अनिमेश कम्प्यूटर निरालानगर बस स्टेशन रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-404740 9302754329
9.	SPS Training & Technology (I) Pvt. Ltd. Kamla Kutir, Jamuna Prasad Verma Bhawan, Nehru Chowk Bilaspur	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-419144
10.	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. ओस्जवी नर्सिंग होम के सामने गुलमोहर वाटिका ,रुद्री रोड	धमतरी	धमतरी	98264-32896 93028-32896 07722-236994
11.	लॉजिक गेट, नंबर-1 स्टील कालोनी जी.ई. (बाई पास रोड) स्टील कॉलोनी, नेहरूनगर पश्चिम	दुर्ग	भिलाई	93293-50154 73548-83351
12.	हिमांशु इनफोटेक, 108 न्यू सिविक सेंटर	दुर्ग	भिलाई	0788-4062445 99071-83175
13.	भारतीय कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	9826322230 93001-19838
14.	पेस एकेडमी सिन्धी कालोनी डॉ सिद्धिकी क्लिनिक के उपर स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास	दुर्ग	दुर्ग	0788-4013474 78983-83772 98271-71227
15.	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साई मंदिर के पास कसारीडीह	दुर्ग	दुर्ग	96916-66225 93023-53905

16	क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज पटेल कॉम्प्लेक्स पदमानाभपुर	दुर्ग	दुर्ग	0788-2329922 93018-36000
17	अपोलो कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ;विटनरी कॉलेज के सामनेद्व अंजोरा	दुर्ग	अंजोरा	07882-623444 93028-34648
18	मनसा कॉलेज कोहका कुरुद रोड भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788-3201582 9893750431
19	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788-2295350 9229475290
20	भिलाई कॉलेज ऑफ आई.टी. जामुल भिलाई वार्ड 4, चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा	दुर्ग	भिलाई	0788-4031830 9993728325
21	रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी जी.ई.रोड गंजपारा, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग	0788-2322552 99930-10010 92293-44424
22	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको, आमदीनगर हुडको भिलाई-दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	0788-2241600 96857-89815
23	एम.जे.कॉलेज कोहका जुनवानी रोड	दुर्ग	भिलाई	0788-2294055 98931-20381
24	कल्याण पी.जी. कालेज सेक्टर 07 भिलाई नगर	दुर्ग	दुर्ग	0788-223665 98271-06750
25	साइबर स्पार्ट बी.7 नेशनल हाईवे 12 ए. सुन्दरनगर रायपुर रोड बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा	99813-47368 07824-222098 93002-55631
26	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	07782-262267
27	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन जैन मंदिर रोड	बस्तर	जगदलपुर	07782-226632 94252-61196
28	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड	बस्तर	जगदलपुर	97555-29670
29	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जशपुर	जशपुर	जशपुर	07763-223197
30	शर्मा कम्प्यूटर्स करबला चौक	जशपुर	जशपुर	07763-223600 94252-52975
31	देव कम्प्यूटर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास	जशपुर	जशपुर	94060-27963
32	फ्यूचर ब्राइट कम्प्यूटर एजुकेशन कुर्मी छात्रावास बस स्टेन्ड के पास कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा	93004-29449 75666-43699
33	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	कोरबा	कोरबा	07759-225328
34	राहेन कम्प्यूटर निहारिका टॉकिज के पास	कोरबा	कोरबा	07759-226144 81035-23771
35	एजुकेशन प्लानेट (Education Planet) Infront of DD Market ,P.H Road	कोरबा	कोरबा	9425226685
36	(ICDE) कम्प्यूटर एजुकेशन, Opp Bunkar Society , Amapara, Raipur	रायपुर	रायपुर	7587145303
37	प्रिसिसे कालेज देवपुरी रोड पचपेड़ीनाका रायपुर	रायपुर	रायपुर	94079-77700
38	शिवांता टेक्नालॉजी बिंदा सोनकर स्कूल के सामने, अश्वनी नगर	रायपुर	रायपुर	94079-02100
39	श्रीराम कालेज सारागांव, खरोरा रोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	8349061390 8889538957
40	सेन्ट्रल कालेज ऑफ आई.टी. आर.आई.एफ. बिल्डिंग फाफाडीह मेनरोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	9425208200 9425208100
41	महात्मा गांधी कॉलेज गुस्द्वारा के पीछे स्टेशन रोड	रायपुर	रायपुर	0771-4047124 94252-04469
42	रूगंटा एजुकेशन कैम्पस नंदनवन के पास वीरसावरकर नगर रायपुर	रायपुर	रायपुर	0771-6666666 92291-55566

43	सी.आई.टी. बी. एड कालेज, NH-43, भेलवाडीह, नया रायपुर	रायपुर	रायपुर	99932-34891 99771-44800
44	रुगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, शीला रेसीडेन्सी सी.एम. हाउस के सामने सिविल लाइन रायपुर छ.ग.	रायपुर	रायपुर	92293-55572 0771-6888888
45	गुरुकुल इंस्टीट्यूट केसोछोर रोड प्लाट नं. 991 / 1	गरियाबंद	गरियाबंद	07706220325 9893388446
46	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस जनपद कार्यालय के पीछे	गरियाबंद	गरियाबंद	07706-241502 99815-21776 99932-43702
47	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़	राजनांदगांव	खैरागढ़	07820 -34204
48	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन दिग्विजय कालेज रोड सोनार पारा त्रिपुरा किराना के सामने विजन इन्फोटेक के सामने	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744-409555 93292-52329
49	सी-टेक कम्प्यूटर एजुकेशन बालेराय स्टेडियम के सामने मेनरोड	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07819-244288 93010-30379
50	ज्ञानदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल, जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07817-222656 94252-30436
51	चैतन्य महाविद्यालय, पामगढ़ जिला-जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	98271-94555 97138-86911
52	राधा कृष्णा शिक्षा समिति केसरोड़, रावाभाठा, नवागढ़ जिला-जांजगीर चांपा छ.ग.	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	99813-48927
53	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बारद्वार	जांजगीर चांपा	बारद्वार	07757-278421 94790-38751
54	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड	नारायणपुर	नारायणपुर	94255-18385
55	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांकेर	कांकेर	कांकेर	07868-224543
56	नेशनल कम्प्यूटरर्स चर्च के पास	कांकेर	कांकेर	98278-87087 94252-61817
57	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धर्मजयगढ़	रायगढ़	धर्मजयगढ़	07766-266250
58	प्रोग्रेसिव कम्प्यूटर गुरुनानक स्कूल के पास कोस्टापारा नयागंज	रायगढ़	रायगढ़	07762-225540 94252-52051 74897-15491
59	इण्डियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड के पास	महासमुंद	महासमुंद	07723-222121 98265-17661 94252-15613
60	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	07723-224781
61	ट्रैक कम्प्यूटर साडा काम्प्लेक्स ए-12 बस स्टैण्ड	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856-252324
62	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	07856-252283, 252284
63	VII Tech Computer College C/o नाईसटेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखण्ड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास मनेन्द्रगढ़ कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	07771-241927 93015-87039
64	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स पैलेस रोड	रायगढ़	सांरगढ़	07768-233902 93009-60024
65	SAIT कम्प्यूटर मारिया कालोनी शासकीय अस्पताल के सामने पत्थलगांव	जशपुर	पत्थलगांव	07765-234000 94241-83777 99934-43101

#### 4. आवश्यक दिशा निर्देश –

(A) अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश – ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. <http://scert.cg.gov.in> एवं MKCL के वेबसाइट में होगी। डी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgded2014> व बी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgbed2014> है।

- 1- प्री.बी.एड./प्री. डी. एड. परीक्षा निर्देशिका में MKCL केन्द्र की सूची संलग्न है इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में समाचार पत्रों में उल्लेख किया जायेगा। इसका अध्ययन अवश्य कर लें।
- 2- विकल्प फार्म भरने के लिए समयसारणी की जानकारी प्री. बी.एड./प्री.डी.एड. के परिणाम घोषित होने के पश्चात् राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में प्रकाशित किये जायेंगे।
- 3- अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी MKCL केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भर सकेंगे।
- 4- MKCL केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज क्रमांक 2 के अनुसार अपने साथ रखना होगा।
- 5- अभ्यर्थी के पुस्तिका में विकल्प फार्म का एक प्रति दिया जा रहा है।

#### (B) MKCL केन्द्र में जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश –

- 1- विकल्प फार्म में दिये जाने वाले जानकारी को भरे तथा भरी हुई जानकारी का मिलान संलग्न प्रमाण पत्रों से कर लें।
- 2- विकल्प फार्म अभ्यर्थी के उपस्थिति में ही ऑनलाइन भरा जाना है इसके लिए केन्द्र समन्वयक का सहयोग ले।
- 3- प्री.बी.एड. एवं प्री. डी.एड. की अंक सूची में निम्नलिखित जानकारी व्यापम द्वारा दी जाती है जैसे- नाम, उपनाम, जाति, आरक्षित श्रेणी व स्नातक के प्राप्तांक को देख लेवे सही है तो विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया करें अन्यथा इस जानकारी में परिवर्तन MKCL के केन्द्र नहीं कर सकते अगर अभ्यर्थी को अपनी जानकारी सुधारनी है तो MKCL केन्द्र में under taking letter दें और अनुरोध करके एस.सी.ई.आर.टी. के उच्च स्तरीय समिति से संपर्क कर सुधार कर लें तथा सुधार कर ली गई है यह निश्चित कर लें। (व्यापम द्वारा जारी किये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)
- 4- इसके पश्चात् MKCL केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी तथा भरे गये विकल्प फार्म की ऑनलाइन एन्ट्री करेंगे। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 2 प्रिन्ट आउट निकाले दोनो प्रिन्ट आउट का अभ्यर्थी को अवलोकन करायें।
- 5- किसी प्रकार की त्रुटि होने के स्थिति में ऑनलाइन उसे ठीक करने के पश्चात् दुबारा प्रिन्ट आउट निकलवायें।
- 6- अभ्यर्थी के सन्तुष्ट होने के पश्चात् दोनों प्रिन्ट आउट पर MKCL केन्द्र के प्रभारी व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करेंगे।
- 7- विकल्प फार्म की एक प्रति केन्द्र अपने पास अनिवार्यतः रखेंगे तथा एक अभ्यर्थी को देंगे। यदि किसी कारणवश प्रिन्ट नहीं निकल रहा हो तो विकल्प फार्म नहीं भरवायेंगे।
- 8- अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि वे उन्ही महाविद्यालयों का विकल्प देवे जहाँ वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है। क्योंकि महाविद्यालय आबंटित होने के बाद केवल एक बार आबंटन निरस्त कराकर पुनः विकल्प फार्म भरने का प्रावधान है। प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- 9- अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी चयन की सूचना वे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

I. निर्धारित दिवस को केन्द्र में पहुंचकर जहां विकल्प फार्म भरा है वहाँ सूची देखकर।

II. MKCL के एस.एम.एस. से या एस.सी.ई.आर.टी. के Websit : <http://scert.cg.gov.in> में

तथा बी.एड. के लिए **MKCL** के **websit** <http://oasis.mkcl.org/cgbed2014>, डी.एड. के लिए <http://oasis.mkcl.org/cgded2014> में अपना विकल्प फार्म क्रमांक **submit** कर देख सकते हैं।

**10-** आबंटन साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।

**11-** आबंटन की सूची वेबसाइट में देखी जा सकती है। इसके पश्चात् अपना आबंटन पत्र **MKCL** के साइट में आबंटन पत्र के विकल्प में जाकर अपना **Application No.** या प्री.बी.एड./ प्री.डी.एड. परीक्षा का रोल नम्बर डालकर अपना अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई आबंटन पत्र इंटरनेट से कही भी निकाला जा सकता है। आपने अपना मोबाइल नं. डाला हो तो एस.एम.एस. द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है मगर एस.एम.एस. नहीं मिलने पर इसकी जवाबदारी एस.सी.ई.आर.टी. की नहीं होगी।

## **(C) चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होने की प्रक्रिया –**

1. अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं जिन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति विकल्प फार्म के साथ संलग्न किए थे उसके मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर निर्धारित अवधि में उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
3. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर अभ्यर्थी से निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को **MKCL** के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
4. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि (प्रवेश के लिए) में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
7. **MKCL** के वेबसाइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई. डी. व पासवर्ड इंटर कर **login** करें तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी निरंतर अपडेट करते रहें। महाविद्यालय के आबंटित सभी अभ्यर्थियों को बाइडीफाल्ट प्रवेशित माना जाता है। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण का सीट्स आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

### **5. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –**

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित है –

**5.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –**

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय/ **MKCL** केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी **MKCL** केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

**5.2 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था –**

ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैंक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के

आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

**5.3 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे –**

ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

**5.4** प्रत्येक चरण में विकल्प भर्ती की अंतिम तिथि के अगले दिन उस चरण हेतु शामिल किये जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची MKCL के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूची में अपना नाम देख लें।

**6.** किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

**7.** बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।

**संचालक**  
**एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर**



## D.Ed. Admission Process 2014-15 Option From Pre - D.Ed Exam

- 1- Pre – D.Ed. Exam Roll No.
2. Application Form No.
3. Mark Obtained in Pre D.Ed. Exam
4. Overall Rank No.

Recent passport  
size photograph

### Personal Details

5. Are You Domicile of Chhattisgrh Yes  No
6. Applicants Full Name  
(Capital letters only)
7. Gender Male  Female  8. Date of Birth
9. Phone No.   10. Mobile No.
11. Email ID

Name the district from where you belong

### Reservation Details For Chhattisgarh Domicile only - (Tick (√) Appropriate Details)

Reservation Category GENERAL  SC  ST  OBC

(Non-Creamy layer Certificate is Compulsory for OBC Candidate)

Are you physical Handicap ? Yes  No

Are you Son/grandson/daughter/granddaughter of Freedom Fighter ? Yes  No

Are you Son/daughter of Ex-Serviceman (Bhutpurva Sainik) ? Yes  No

### 12th Details

Name of the board of 12th Examination

District in Which School/Study Center is Located

Name of the School/Junior College

Stream from which 12th is completed  Science  Other than Science

Marks as shown on 12th Standard Mark List

Marks	Out of	Percentage	Month and Year of Passing

**Challan Details**

Bank Transaction Number  Challan Amount  City Name   
 Challan Date  Bank Name  Branch Name

**College Preferences**

**Please Note;** You may able to give the preferences for DIET/BTI belonging to your district only & all the private D.Ed. colleges.

**Enter College Code**

1  2  3  4  5   
 6  7  8  9  10   
 11  12  13  14  15   
 16  17  18  19  20   
 21  22  23  24  25

**DIET/BTI Preferences**

**(If You are not allotted college in any of the above due to your position in merit list then please select your district wise preference for college allotment)**

1  2  3  4  5   
 6  7  8  9  10   
 11  12  13  14  15   
 16

**Declaratlon**

**I herby declare that all the information furnished by me in this Option Form is true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that entries made by me in this Option Form are final and binding on me. I further declare that in the D.Ed. Admission process if any information being found false or incorrect I shall be liable for action taken by Director, SCERT.**

**Place : -**

**Date :-**

**Signature of Candidate**



## B.Ed. Admission Process 2014-15 Option From Pre - B.Ed Exam

1. Pre – B.Ed. Exam Roll No.

2. Overall Rank

3. Mark Obtained in Pre B.Ed. Exam

Recent passport  
size photograph

### Personal Details

4. Are You Domicile of Chhattisgarh Yes  No

5. APPLICANT Full Name

6. Gender Male  Female  7. Date of Birth

8. Phone No.   9. Mobile No.

10. Email

### Reservation Details For Chhattisgarh Domicile only - (Tick (√) Appropriate Details)

11. Reservation Category GENERAL  SC  ST  OBC

12. Are you physical Handicap ? Yes  No

13. Are you Son/grandson/daughter/granddaughter of Freedom Fighter ? Yes  No

14. Are you Son/daughter of Ex-Serviceman (Bhutpurva Sainik) ? Yes  No

### Eligibility

At Degree or Post Graduate level minimum qualifying marks 50% for General caegory candidates and minimum 45% for Reserved category candidates of Chhattisgarh are required for admission to B.Ed. Course.

Eligibility Criteria	At Degree Level		At Post Graduate Leve	
	Tick (√)	Percentage	Tick (√)	Percentage
Whichever Applicable				

At degree or post graduate leve minimum qualifying marks for general category candiaate is 50% but for reserve category candidate of chhattisgarh minimum qualifying marks will by 45%

**Graduation Details**

Name of the Graduation Degree Completed

Name of the Collegal/Study Center

State in Which Collegal/Study Center is Located

Name of the University for Degree

**Write the Academic Year wise Mark details**

Sr. No.	Year	Month and Year of Passing	Marks Obtained	Out of
1	First Year			
2	Second Year			
3	Third Year			
4	Additional (If any)			

**Aggregate Marks as shown on University Mark List/Mark Memo of graduation degree –**

Marks	Out of	Percentage	Month and Year of Passing	Class Obtained

**Post Graduation Details**

Are you Post Graduate Yes  No

Name of the P G Degree

Total Marks of Post Graduate Degree	Out of	Percentage	Month and Year of Passing

**Challan Details**

Bank Transaction Number  Challan Amount  City Name

Challan Date  Bank Name  Branch Name

**College Preferences**

Enter College Code

1  2  3  4  5

6  7  8  9  10

11  12  13  14  15

16  17  18  19  20

21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

31	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	33	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>	35	<input type="text"/>
36	<input type="text"/>	37	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>	39	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>
41	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>	43	<input type="text"/>	44	<input type="text"/>	45	<input type="text"/>
46	<input type="text"/>	47	<input type="text"/>	48	<input type="text"/>	49	<input type="text"/>	50	<input type="text"/>
51	<input type="text"/>	52	<input type="text"/>	53	<input type="text"/>	54	<input type="text"/>	55	<input type="text"/>
56	<input type="text"/>	57	<input type="text"/>	58	<input type="text"/>	59	<input type="text"/>	60	<input type="text"/>
61	<input type="text"/>	62	<input type="text"/>	63	<input type="text"/>	64	<input type="text"/>	65	<input type="text"/>
66	<input type="text"/>	67	<input type="text"/>	68	<input type="text"/>	69	<input type="text"/>	70	<input type="text"/>
71	<input type="text"/>	72	<input type="text"/>	73	<input type="text"/>	74	<input type="text"/>	75	<input type="text"/>
76	<input type="text"/>	77	<input type="text"/>	78	<input type="text"/>	79	<input type="text"/>	80	<input type="text"/>
81	<input type="text"/>	82	<input type="text"/>	83	<input type="text"/>	84	<input type="text"/>	85	<input type="text"/>
86	<input type="text"/>	87	<input type="text"/>	88	<input type="text"/>	89	<input type="text"/>	90	<input type="text"/>
91	<input type="text"/>	92	<input type="text"/>	93	<input type="text"/>	94	<input type="text"/>	95	<input type="text"/>
96	<input type="text"/>	97	<input type="text"/>	98	<input type="text"/>	99	<input type="text"/>	100	<input type="text"/>
101	<input type="text"/>	102	<input type="text"/>	103	<input type="text"/>	104	<input type="text"/>	105	<input type="text"/>
106	<input type="text"/>	107	<input type="text"/>	108	<input type="text"/>	109	<input type="text"/>	110	<input type="text"/>
111	<input type="text"/>	112	<input type="text"/>	113	<input type="text"/>	114	<input type="text"/>	115	<input type="text"/>
116	<input type="text"/>	117	<input type="text"/>	118	<input type="text"/>	119	<input type="text"/>	120	<input type="text"/>
121	<input type="text"/>	122	<input type="text"/>	123	<input type="text"/>	124	<input type="text"/>	125	<input type="text"/>
126	<input type="text"/>	127	<input type="text"/>	128	<input type="text"/>	129	<input type="text"/>	130	<input type="text"/>

## Declaratlon

**I herby declare that all the information furnished by me in this Option Form is true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that entries made by me in this Option Form are final and binding on me. I further declare that in the B.Ed. Admission process if any information being found false or incorrect I shall be liable for action taken by Director, SCERT.**

**Place : -**

**Date :-**

**Signature of Candidate**